[2019] 4 एस.सी.आर. 208

सुग्रीव कुमार

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 509 ऑफ़ 2019) मार्च 15, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, जे.जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा 319 – के तहत आवेदन – एक आपराधिक कार्यवाही में अन्तर्गत धारा 302, 307, 341 सपठित धारा 34 आईपीसी। शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25, 54 और 59 के तहत अपराध के लिए तीन आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक गवाह की गवाही के आधार पर आठ व्यक्तियों को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया गया, जिसमें उसने गवाही दी थी कि ग्यारह लोग अपराध में शामिल थे– ट्रायल कोर्ट ने एक व्यक्ति को तलब किया और सात व्यक्तियों के विरूद्ध आवेदन को खारिज कर दिया– उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि की –अपील पर स्थापित हुआ कि धारा 319 किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को तलब का अधिकार देती है–हालाँकि, विवेकाधीन होने के कारण शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाना चाहिए–लागू किया जाने वाला परीक्षण वह है जो आरोप तय करने के समय जांच की गई प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टिदायक नहीं है कि अगर सबूत अनियंत्रित हो जाते हैं,तो आरोपी को सजा हो जाएगी–वर्तमान मामले में,इस पर विचार आवेदन इस प्रकार था मानो प्रस्तावित आरोपी के खिलाफ उचित संदेह से परे किसी मामले के अस्तित्व की जांच की जा रही हो – यह स्पष्ट रूप से एक गलत दृष्टिकोण था – विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और आवेदन को ट्रायल कोर्ट द्वारा फिर से जांचने के लिए बहाल किया गया है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए स्थापित किया गया कि:
1. सीआरपीसी की धारा 319 में निहित प्रावधान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हैं कि वास्तविक अपराधी को सजा से बचना नहीं चाहिए। इन प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय को ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है, जिसे आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है, यदि साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जिसके लिए उस पर अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। [पैरा 10][214–एफ, जी]

2. सीआरपीसी की धारा 319 में निहित प्रावधान रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को तलब करने की मंजूरी देते हैं।

हालाँकि, यह एक विवेकाधीन शक्ति है और एक असाधारण शक्ति है, इसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ठोस सबूत उपलब्ध हों। इस शक्ति के प्रयोग के लिए जो प्रथम दृष्टया राय बनाई जानी है, उसके लिए किसी व्यक्ति की मिलीभगत की संभावना से अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। लागू किया जाने वाला परीक्षण वह है जो आरोप तय करने के समय जांचे गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्ट नहीं है कि साक्ष्य, यदि अनियंत्रित हो जाता है, तो आरोपी की सजा हो जाएगी। [पैरा 12][216–एफ, जी]

3. वर्तमान वाद में, धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार इस प्रकार किया गया था जैसे कि प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उचित संदेह से परे किसी मामले के अस्तित्व की जांच की जा रही हो। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह आगे बढ़े जैसे कि प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अभियोजन पक्ष को एक अचूक मामला दिखाने की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना के प्रति एक गलत दृष्टिकोण था। [पैरा 13][216–एच, 217–ए, बी]

4. अपीलकर्ता (पीडब्लू–1) ने प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों को विशिष्ट भूमिकाएँ बताते हुए बयान दिया है। धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचारण के चरण में, ट्रायल कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले से अधिक कुछ देखना था, लेकिन वह इस बात की जांच करने की हद तक नहीं जा सका कि क्या मामले में अंततः प्रस्तावित दोषी को दोषी ठहराएगा या नहीं। [पैरा 14][217–बी–सी]

5. वर्तमान मामले की परिस्थितियों की समग्रता में, अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए अभियोजन पक्ष की प्रार्थना, उचित परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की गई है और लागू सिद्धांतों के संबंध में निचली अदालत को पुनर्विचार के लिए बहाल की जानी चाहिए। [पैरा 16] [217–डी, ई]

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92:

[2014] 2 एससीआर 1 – का अनुसरण किया गया।

बृजेन्द्र सिंह एवं अन्य। बनाम राजस्थान राज्य (2017) 7

एससीसी 706: [2017] 3 एससीआर 374 – संदर्भित। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

केस कानून संदर्भ
[2014] 2 एससीआर 1 द्वारा पैरा 6 का पालन किया

[2017] 3 एससीआर 374 पैरा 6 को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 509/2019

2014 के सीआरआर संख्या 2626 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 02.07.2018 के निर्णय और आदेश से।

राज बहादुर स्रोत, अशोक कुमार गुप्ता द्वितीय, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए.

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, जगजीत सिंह छाबड़ा, सक्षम माहेश्वरी, प्रदीप कुमार आर्य, कपल ढाका, राणा कुणाल, चंदर शेखर आश्री, अमित के. नैन, गगनदीप शर्मा, अलिंद श्रीवास्तव, सुश्री प्रियांशु कामरा, सुश्री चरितार्थ पल्ली ,शुभम भल्ला,सौरभ अजय गुप्ता, निशांत बिश्नोई, सुश्री सृष्टि प्रभाकर, सलाहकार। उत्तरदाताओं के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया
दिनेश माहेश्वरी जे. 1. अनुमति याचिका स्वीकृत।

2. इस अपील में, शिकायतकर्ता –अपीलकर्ता ने 2014 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 2626 में दिनांक 02.07.2018 के फैसले और आदेश पर सवाल उठाया है, जिसके तहत चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24.07 के आदेश को बरकरार रखा है। 2014 जैसा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फाजिल्का द्वारा 14.01.2014 के एससी संख्या 9 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 319 के तहत दायर एक आवेदन पर अतिरिक्त आरोपी व्यक्तियों को मुकदमे में खड़े होने के लिए बुलाने की मांग की गई थी।

2.1 हस्ताक्षर सत्यापित नहीं है। उपरोक्त सत्र मामला अशोक राज सिंह द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 302, 307,341,34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25,54 तथा 59। धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर उक्त आदेश दिनांक 24.07.2014 द्वारा , ट्रायल कोर्ट ने एक आरोपी सोनू पुत्र जयपाल को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने की अभियोजन पक्ष की प्रार्थना को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, उसे बुलाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया है। अन्य 7 व्यक्ति, कृष्ण देव, कृष्ण देव के पुत्र विकास, राजन, मुकेश उर्फ जंगली, देविंदर उर्फ वीरू, सुरिंदर महल और पृथ्वी राज।

3. वर्तमान उद्देश्य के लिए अब तक प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है:

(दिनेश माहेश्वरी जे.)

3.1 अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 29.08.2013 को, अपीलकर्ता अपने पिता, भाई और अन्य सहयोगियों के साथ, सहायक कलेक्टर ग्रेड– । के न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में पूर्व किरायेदारों से उनकी भूमि पर कब्जा वापस लेने के लिए आगे बढ़ा; लगभग 3:30 बजे साइट पर पहुंचने पर, उन्होंने पाया कि संबंधित राजस्व अधिकारी मौजूद नहीं थे और जब वे राजस्व अधिकारियों की तलाश में गांव वापस जा रहे थे, तो 3–4 कारों ने उन्हें रोक लिया जिनमे से लगभग 10– 12 व्यक्ति

निकले, उनमें से कुछ कथित किरायेदार थे, जो पिस्तौल, राइफल, तलवार, डांग, सोटा और 12 बोर बंदूक से लैस थे; और शब्दों के गर्म आदान –प्रदान के बाद, अपीलकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों और उनके सहयोगियों पर आरोपियों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के पिता और भाई की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य को अलग–अलग चोटें आईं, अपीलकर्ता को तीन गोलियां लगीं।

3.2 विचाराधीन घटना के लिए, आईपीसी की धारा 302, 307, 341, 148 और 149 के साथ–साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 27, 54 और और 59 के तहत अपराध के लिए 11 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गयी। हालाँकि, जांच के बाद, केवल 3 व्यक्तियों, विक्रम गिला, गुरमीत सिंह और सुनील कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

3.3 मुकदमे में, अभियोजन पक्ष द्वारा पीडब्लू–1 के रूप में अपीलकर्ता की जांच की गई, जिसने अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित घटना के संबंध में दावा किया: –

> "..... कार से उतरने के बाद विकास ने शोर मचाया कि उन्हें उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए सबक सिखाया जाए। तब विक्रम ने अपनी राइफल से मेरे पिता पर गोली चला दी जो उन्हें लगी। फिर मेरा भाई संदीप जीप से उतरा और विक्रम अपनी राइफल के साथ उस पर दो गोलियां चलाईं जो उसकी छाती और कमर के बाईं ओर लगीं। कृष्ण ने फिर ललकारा उठाया और सोनू को उकसाया कि तुम क्यों खड़े हो और उससे कहा कि हनुमान के सभी पुत्रों को मार डालो। फिर सोनू ने अपने रिवॉल्वर से तीन गोलियां चलाईं जिनमें से दो एक गोली मेरे सीने पर दिल के पास और एक बाएं कंधे के पास लगी। विक्रम ने फिर से अपनी बंदूक से मेरे पिता पर गोली चलाई जो उनकी कमर पर लगी। फिर सभी आरोपियों ने अपनी रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूक और पिस्तौल से अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। माही राम, बुध राम, मेरे पिता और शाम लाल (हमारे नौकर) को वाहनों से टक्कर मारी,। इसके बाद हमने मार दिया मार दिया चिल्लाया। फिर आरोपियों ने अपने वाहनों पर भागने की कोशिश की लेकिन इनोवा स्टार्ट नहीं हुई और उन्होंने इनोवा को वहीं छोड़ दिया 12 बोर राइफल के साथ और अन्य वाहनों में घटनास्थल से भाग गए...(sic)"

3.4 अपीलकर्ता ने अपनी जिरह में बताया कि कृष्ण देव, विकास, सोनू, राजन, मुकेश उर्फ जंगली, देविंदर उर्फ वीरू, सुरिंदर महल और पिरथी राज को पुलिस की जांच के बाद निर्दोष घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि वे गलत थे। निर्दोष घोषित किया गया.

3.5 अपीलकर्ता की आगे की जिरह लंबित होने तक, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता (पीडब्लू–1) की गवाही के आधार पर मुकदमे का सामना करने के लिए उपरोक्त 8 व्यक्तियों को बुलाने के लिए धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें उसने दावा किया था वे सभी अपराध स्थल पर मौजूद थे; और कृष्ण

देव के उकसाने पर अपीलकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों पर हमला किया और घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पिता और भाई की मृत्यु हो गई। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों को बुलाने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी।

4. दिनांक 24.07.2014 के अपने आक्षेपित आदेश में, ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 161 और एफआईआर के तहत अपीलकर्ता के बयान की तुलना में उसकी गवाही में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया; और उपरोक्त 7 व्यक्तियों को बुलाने का कोई मामला नहीं पाया, लेकिन जयपाल के बेटे सोनू को बुलाना उचित और उचित समझा, जिसने कथित तौर पर अपनी बंदूक से तीन गोलियां चलाईं, जो अपीलकर्ता को लगीं।

5. उपरोक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरआर संख्या 2626/2014 के तहत एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे 02.07.2018 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 4 में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने राहत को केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 3, कृष्ण देव और कृष्ण देव के पुत्र विकास तक ही सीमित रखा था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा:

> "11. इस मामले में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान वही हैं , जो पुलिस ने जांच के दौरान दर्ज किए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि विकास को ललकारा इसलिए ठहराया गया था ताकि शिकायतकर्ता पक्ष को विवादित भूमि पर कब्जा करने के लिए सबक सिखाया जा सके, जबकि सुग्रीव (पीडब्लू) ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि विवादित भूमि पर कब्जा अभी तक नहीं हुआ है। उनके द्वारा लिया गया है.। इससे पता चलता है कि उत्तरदाताओं, कृष्ण देव और विकास को पार्टियों के बीच दुश्मनी के कारण आरोपी बनाया गया था और पुलिस ने जांच के दौरान सबूत एकत्र किए थे जो साबित करते हैं कि ये दोनों उत्तरदाता घटना स्थल से बहुत दूर थे।
>
> 12. मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय बृजेंद्र सिंह (सुप्रा) ने देखा है कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने के लिए संतुष्टि की डिग्री बहुत सख्त है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयमित रूप से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से मजबूत और ठोस सबूत मिलते हैं, न कि किसी मामले में आकस्मिक और..... ... ."

6. उपरोक्त आदेश की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट भी इस तथ्य पर विचार करने में विफल

रहे हैं कि प्रतिवादी नंबर 2 कृष्ण देव और प्रतिवादी नंबर 3 विकास मुख्य अपराधी हैं। अपराध और वारदात को अंजाम देने और कानून से बचने के लिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर लिया था। विद्वान वकील का कहना था कि उपदेश (ललकारना) पहले से नियोजित था क्योंकि भूमि का कब्ज़ा अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को सौंपा जाना था। इनोवा कार, जो प्रतिवादी नंबर 2 के नाम पर पंजीकृत है, अपराध स्थल से बरामद की गई थी और यह कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उत्तरदाताओं नंबर 2 और 3 के उदाहरण पर गवाहों के बयान पर आधारित है, जहां उनमें से कुछ प्रतिवादी नंबर 2 से संबंधित हैं और अन्य उसके परिचित हैं। विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के साथ, आरोपपत्रित अभियुक्तों के साथ–साथ उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का एक स्पष्ट मामला बनता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92 और बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (2017) 7 एससीसी 706 में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया और उन पर भरोसा किया।

7. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उचित रूप से लागू आदेशों का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना है और , इस मामले में, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड की पूरी तरह से जांच करने के बाद, दायर किए गए आवेदन में कोई तथ्य नहीं पाया। अधिक विशेष रूप से, उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट (2019)4 एस.सी.आर.

प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान वकील ने बताया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने इस प्रतिवादी के लिए चुनौती छोड़ दी थी। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि विवादित आदेश रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर उचित विचार करने के बाद पारित किया गया है; उनका नाम न तो एफआईआर में और न ही सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान में दर्शाया गया था। पुलिस जांच के बाद, उसके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट को भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

8. प्रस्तुतीकरण के दौरान, यह बताया गया है कि चूंकि आक्षेपित आदेशों के पारित होने के बाद, अभियोजन पक्ष के अतिरिक्त साक्ष्य मुकदमे में दर्ज किए गए थे और उसके बाद, उपरोक्त 7 व्यक्तियों को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक और आवेदन दायर किया गया था। लेकिन दिनांक 28.09.2018 को ट्रायल कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि व्यावहारिक रूप से, मामले में अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्य समाप्त हो चुके हैं।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर उत्सुकता से विचार करने और लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट विचार है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत इस मामले में दिए गए आवेदनों के निपटान को मंजूरी नहीं दी जा सकती है और

तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, यह उचित और उचित प्रतीत होता है कि ट्रायल कोर्ट को मामले पर लागू सिद्धांतों के संदर्भ में पूरे मामले की फिर से जांच करनी चाहिए, ताकि नए सिरे से निर्णय लिया जा सके कि क्या उपरोक्त व्यक्ति – नामित या उनमें से कोई भी अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाने का हकदार है।

10. यह सामान्य बात है कि सीआरपीसी की धारा 319 में निहित प्रावधान इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हैं कि वास्तविक अपराधी बिना स जा के बच न जाए। इन प्रावधानों के आधार पर, न्यायालय को ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार है, जिसे आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया है, यदि साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, जिसके लिए उस पर अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है। हरदीप सिंह (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अन्य बातों के साथ–साथ, इस प्रावधान के पीछे के उद्देश्य को निम्नलिखित में समझाया है:

> "12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 सिद्धांत ज्यूडेक्स डेमन्टूर कम नोसेंस एब्सोलविटुर (जब दोषी को बरी कर दिया जाता है तो न्यायाधीश की निंदा की जाती है) से उत्पन्न होती है और इस सिद्धांत का उपयोग धारा के अधिनियमन के दायरे और अंतर्निहित भावना को समझाते समय एक प्रकाशस्तंभ के रूप में किया जाना चाहिए।
>
> क्रिमीनल प्रोसेजर. सुग्रीव कुमार बनाम पंजाब राज्य व अन्य।
>
> (दिनेश माहेश्वरी, जे)
>
> 13. वास्तविक अपराधी को दण्ड देकर न्याय करना न्यायालय का कर्तव्य है। जहां जांच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से किसी एक को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध नहीं करती है, तो अदालत उक्त आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है। प्रश्न यह है कि अदालत को किन परिस्थितियों में और किस स्तर पर सीआरपीसी की धारा 319 में विचार के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ?
>
> 28 आर ई 38 38 के
>
> *** *** ***
>
> 19. न्यायालय न्याय का एकमात्र भंडार है और कानून के शासन को बनाए रखने का कर्तव्य उस पर डाला गया है इसलिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में अदालतों के पास ऐसी शक्तियों के अस्तित्व से इनकार करना अनुचित होगा जहां ऐसा नहीं है यह असामान्य है कि कई बार असली आरोपी जांच और/या अभियोजन एजेंसी के साथ छेड़छाड़ करके बच निकलते हैं। मुकदमे से बचने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि एक आरोपी कभी–कभी

जांच या पूछताछ के चरण में भी खुद को दोषमुक्त करने का प्रयास करता है, भले ही वह अपराध के कमीशन से जुड़ा हो।"

11.सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए आवश्यक संतुष्टि की डिग्री के संबंध में , संविधान पीठ ने निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए हैं:

"95. संज्ञान लेते समय अदालत को यह देखना होगा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत , हालांकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण समान है, लेकिन जिस स्तर की संतुष्टि की आवश्यकता है वह बहुत सख्त है। विकास बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की खंडपीठ ने माना कि अदालत की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को "गिरफ्तार" या "सम्मन" किया जा सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता हो सकती है, यदि ऐसा प्रतीत होता है सबूत है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही दोषी ठहराए गए अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

*** *** ***

105. सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं। इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से मजबूत और ठोस सबूत मिलते हैं, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि आकस्मिक और लापरवाह तरीके से।

106. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परीक्षण किया जाए, इसके लिए उसकी मिलीभगत की संभावना से कहीं अधिक मजबूत सबूत की आवश्यकता होती है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि सबूत, अगर खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि हो जाएगी। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, अदालत को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 सीआरपीसी में प्रावधान करने का उद्देश्य यदि "साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई अपराध किया है" शब्दों से स्पष्ट है, "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।" इस्तेमाल

किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके"। इसलिए, धारा 319 सीआरपीसी के तहत कार्य करने वाली अदालत के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

12. इस प्रकार, धारा 319 सीआरपीसी में निहित प्रावधान रिकॉर्ड पर उपलब्ध किसी भी प्रासंगिक साक्ष्य के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने की मंजूरी देते हैं। हालाँकि, यह एक विवेकाधीन शक्ति है और एक असाधारण शक्ति है, इसका प्रयोग संयमित ढंग से और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ठोस सबूत उपलब्ध हो। इस शक्ति के प्रयोग के लिए जो प्रथम दृष्टया राय बनाई जानी है, उसके लिए किसी व्यक्ति की मिलीभगत की संभावना से अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। लागू किया जाने वाला परीक्षण वह है जो आरोप तय करने के समय जांचे गए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्ट नहीं है कि साक्ष्य, यदि अनियंत्रित हो जाता है, तो आरोपी को सजा हो जाएगी।

13. उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते समय, हमारा विचार है कि लागू आदेशों में धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार इस प्रकार किया गया था जैसे कि उचित संदेह से परे एक मामले का अस्तित्व हो रहा हो। प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की गई। दूसरे शब्दों में, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरह आगे बढ़े जैसे कि प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अभियोजन पक्ष को एक अचूक मामला दिखाने की आवश्यकता थी। यह स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की प्रार्थना के प्रति एक गलत दृष्टिकोण था।

14. अपीलकर्ता (पीडब्लू–1) ने प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों को विशिष्ट भूमिकाएँ बताते हुए बयान दिया है। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत आवेदन पर विचार के चरण में , निश्चित रूप से, ट्रायल कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले से अधिक कुछ देखना था, लेकिन यह जांच करने की सीमा तक नहीं जा सकता था कि क्या मामला अंततः सजा में परिणत होगा।

15. मामले में आगे सबूत पेश करने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा दायर अन्य आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने अनिवार्य रूप से दिनांक 24.07.2014 और 02.07.2018 के आक्षेपित आदेशों के संदर्भ में खारिज कर दिया है, जो इस अपील में चुनौती का विषय हैं। .

16. इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता में, सबूतों पर और अधिक विस्तार करने के बजाय, वर्तमान उद्देश्य के लिए यह देखना पर्याप्त होगा कि अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अभियोजन पक्ष की प्रार्थना की उचित जांच नहीं की गई है। संभावित और लागू सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट के पुनर्विचार के लिए बहाल किया जाना चाहिए।

17. तदनुसार, इस अपील को आंशिक रूप से, उस सीमा तक और इस तरीके से अनुमति दी जाती है कि विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाए और धारा 319 सीआरपीसी के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए आवेदनों को ट्रायल कोर्ट के पुनर्विचार के लिए बहाल कर दिया जाए। न्याय के हित में, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण–दोष पर कोई फैसला नहीं दिया है और ट्रायल कोर्ट से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी भी अवलोकन से पूरी तरह से प्रभावित हुए बिना प्रस्तावित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अभियोजन की प्रार्थना पर पुनर्विचार करे। यहां मामले के तथ्यों के संबंध में, लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और लागू कानून को ध्यान में रखते हुए।

कल्पना के.त्रिपाठी। अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

Translated/Vetted By:
Samali Mittal
Judicial magistrate–II
Saharanpur